



प्रेस विज्ञप्ति

24.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एनसीएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भोला सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग **2.79 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसी-II, नई दिल्ली द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ख) और 13(2) के तहत अनुपातहीन संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।

जांच से पता चला कि 01.01.2022 से 31.01.2024 की अवधि के दौरान, भोला सिंह के पास लगभग 1.74 करोड़ रुपये (लगभग 124%) की अनुपातहीन संपत्ति थी।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि भोला सिंह और उनकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित बैंक लॉकरों से लगभग 1.94 करोड़ रुपये मूल्य की बड़ी मात्रा में नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए गए। इसके अलावा, लगभग 85.45 लाख रुपये मूल्य का एक आलीशान फ्लैट भी अधिग्रहित किया गया था, जो उनकी ज्ञात और वैध आय के स्रोतों के अनुपातहीन पाया गया।

तदनुसार, ईडी ने अपराध की आय होने के कारण पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत नकदी, सोने के आभूषण और रांची के एसएआईएल सिटी स्थित उक्त आवासीय फ्लैट सहित लगभग **2.79 करोड़ रुपये** की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।